न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः मोहम्मद अज़हर) विशेष सत्र प्रकरण कमांक-101 / 15 (डकैती)

प्रस्तुति / संस्थित दिनांक 09.12.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना–गोहद जिला—भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

<u>बनाम</u>

- गुड्डू उर्फ विजय सिंह कुशवाह पुत्र श्री रामदयाल कुशवाह आयु 31 वर्ष निवासी ग्राम लोधे की पाली थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म०प्र०
- ज्ञान सिंह जाटव पुत्र मूलचन्द जाटव आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम बूटी कुईया थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0
- मुनेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र दिलीप सिंह गुर्जर आयु 25 वर्ष 3. निवासी ग्राम बंकेपुरा, थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- श्रीराम कुशवाह पुत्र रामचरण कुशवाह आयु 54 वर्ष 4. निवासी ग्राम रामपाल का पुरा थाना एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
- करू उर्फ करूआ गुर्जर पुत्र दामोदर गुर्जर आयु 24 5. वर्ष निवासी हीरा भूमिया का पुरा (खरौआ) थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र० अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल विशेष लोक अभियोजक। अभियुक्त गुड्डू उर्फ विजय सिंह द्वारा श्री पी.एन. भटेले अधिवक्ता। अभियुक्त मुनेन्द्र एवं ज्ञानसिह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। अभियुक्त श्रीराम द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता। अभियुक्त करू उर्फ करूआ द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।

<u><equation-block> / / निर्णय</u> / /

(आज दिनांक 08.09.2017 को घोषित)

अभियुक्त गुड्डू उर्फ विजय सिंह, ज्ञानसिंह, मुनेन्द्र सिंह, श्रीराम 1.

कुशवाह एवं करू उर्फ करूआ के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा-399, 400, 402 एवं धारा—11 एवं 13 म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत तथा अभियुक्त गुड्डू उर्फ विजय सिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा— 25 (1—बी)(ए) के तहत तथा ज्ञान सिंह एवं म्नेन्द्रसिंह के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा– 25 (1-बी)(बी) के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 12.08.14 को रात्रि 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम बंकेपुरा रोड पानी की टंकी के पास अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में डकैती की तैयारी की, डकैती के अभ्यस्त रहते हुए, डकैती करने के प्रयोजन से सहअभियुक्तगण की टोली में शमिल रहे एवं डकैती के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह के सदस्य रहे एवं अभियुक्त गुड्डू उर्फ विजय सिंह ने बिना वैध लाइसेंस के एक 315 बोर का कट्टा तथा दो कारतूस, अभियुक्त ज्ञानसिंह ने बिना वैध लाइसेंस के एक धारदार तलवार 2 फुट 8 इंच लंबी एवं 1 फुट 7 इंच चौड़ी एवं अभियुक्त मुनेन्द्र सिंह ने बिना वैध लाइसेंस के एक लोहे का फरसा 9 इंच लंबा तथा 3 इंच चौडा अपने अधिपत्य में रखे।

- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में बताया गया ह ाटनास्थल राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर म.प्र.शासन गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 12–1/2000/पी(1)दो भिण्ड, दिनांक 20.01.2000 से मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और घटना दिनांक को वह डकैती प्रभावित क्षेत्र था।
- अभियोजन के अनुसार दिनांक 12.08.14 को शाम 09:30 बजे या 3. उसके लगभग पुलिस थाना गोहद में थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि बंकेपुरा बडागर रोड पानी की टंकी के पास झाडियों की ओट में 8–10 बदमाश डकैती के इरादे से एकत्र होकर सशस्त्र डकैती डालने की तैयारी के साथ योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पाकर जे.पी. भट्ट के द्वारा समस्त पुलिस फोर्स इकट्ठा करने को कहा गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाइल से सूचना से अवगत कराया तथा साक्षीगण मुन्ता खटीक व राजू श्रीवास को तलब करने को कहा। साक्षीगण मुन्ना खटीक व राजू श्रीवास व पुलिस फोर्स इकट्ठा हुए, सभी को सूचना से अवगत कराया गया तथा शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.-03-1402 एवं प्राइवेट वाहन क्रमांक एम.पी. -16-सी-6910 में समस्त फोर्स एवं गवाहन को बैठाकर मय रायफल रिवाल्वर के बंकेपुरा रोड गोहद पर पहुंच कर वाहनों से फोर्स को उतारा। एक पार्टी का नेतृत्व उपनिरीक्षक सोनपाल सिंह तोमर कर रहे थे, जिसमें सहायक उपनिरीक्षक एन.सी. यादव, प्रधान आरक्षक उपेन्द्र सिंह, आरक्षक संजय पाण्डेय, आरक्षक महेश एवं आरक्षक इदरीश खां को झाडियों में बैठे बदमाशों की घेराबंदी करने सामने से तथा थाना प्रभारी जे.पी. भट्टे अपनी पार्टी में ए.एस.आई. आर.पी.एस. तोमर, प्रधान आरक्षक तहसीदार, आरक्षक भूरालाल, आरक्षक कमलेश, आरक्षक विनोद व साक्षीगण मुन्ना खटीक व राजू श्रीवास के साथ बदमाशों की घेराबंदी

करने पानी की टंकी के पास बंकेपुरा सीधे पहुंचे, तभी बदमाशों की खुसुर फुसुर सुनाई दी कि अभी रात होने दो, राकेश बंसल के यहां चलकर डकैती डालेंगे तथा डकैती का माल मिलने पर इसी जगह आकर बंटवारा करेंगे। थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट को पूरा यकीन हो जाने पर उन्होंने बदमाशों को ललकारा कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, तभी बदमाशों में हडकम्प मच गया और बदमाश भागने लगे तभी पार्टी नंबर 01 तथा पार्टी नंबर 02 ने मिलकर चार बदमाशों को पकड लिया तथा पांच बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।

- अभियोजन के अनुसार ही पकड़े गए बदमाशों में से जिसके पास लोडेड 315 बोर का कट्टा उसके दाहिने हाथ में तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर का उसके पेंट की दाहिनी जेब में से मिला, उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम गुड्डू उर्फ विजय सिंह पुत्र रामदयाल कुशवाह निवासी लोधे की पाली, थाना गोहद चौराहा बताया। दूसरा बदमाश जो हाथ में तलवार लिए था, उसने अपना नाम ज्ञानसिंह पुत्र मूलचन्द जाटव निवासी बूटी कुईया, थाना गोहद चौराहा बताया, तीसरा बदमाश जो फरसा लिए था, उसने अपना नाम मुनेन्द्र गुर्जर पुत्र दिलीप गुर्जर निवासी बंकेपुरा का बताया। चौथा बदमाश जो लाठी लिए था उसने अपना नाम श्रीराम पुत्र रामचरण कुशवाह निवासी रामपाल का पुरा थाना एण्डोरी को बताया। थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट ने टॉर्च की रोशनी में लिखापढी की थी। जप्ती पंचनामा प्र0पी0-लगायत 09 बनाए गए। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-02 लगायत 05 बनाए गए। भागे हुए बदमाशों का नाम पूछने पर अभियुक्तगण ने बदमाशों के नाम सतीश पुत्र रूस्तम गुर्जर निवासी बंकेपुरा, जितेन्द्र पुत्र उदयसिंह गुर्जर निवासी रूध का पुरा, करू पुत्र दामोदर गुर्जर निवासी भूमियां का पुरा (खरौआ), मनोज पुत्र जबर सिंह गुर्जर निवासी रूध का पुरा, शैलू पुत्र रामस्वरूप गूर्जर निवासी रूध का पुरा होना बताया। टॉर्च के उजाले में थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट एवं फोर्स ने पहचाना, पांचों बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर बंकेपुरा की तरफ आग गए। फिर पकडे गए चारों बदमाशों को व जप्त सामान को थाने पर लाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-13 लिखी गई। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 271 / 14 अंतर्गत धारा—399, 400, 402 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम तथा 11 एवं 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.केंं एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
- 5. दौराने अनुसंधान दूसरे दिन दिनांक 13.08.14 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0—15 बनाया गया। उसी दिनांक को साक्षी जे.पी. भट्ट, सोनपाल सिंह तोमर, आर.पी.एस. तोमर, तहसीदार सिंह, इदरीश खां, एन.सी. यादव के कथन तथा उसी दिनांक को साक्षी विनोद का प्र0डी0—02 का, मुन्ना खटीक का प्र0पी0—11 का तथा राजू श्रीवास का प्र0पी0—10 का कथन लिया गया। गुड्डू से जब्तशुदा कट्टे एवं कारतूस को जांच हेतु भेजा गया, जो 315 बोर का कट्टा एवं दोनों जिंदा कारतूस फायर किए जाने योग्य पाए गए। जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0—12

- 6. अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। धारा—313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि साक्षीगण पुलिस के होने के कारण उनके विरूद्ध बोलते हैं। वे निर्दोष है, उन्हें झूंटा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 12.08.14 को रात्रि 10:30 बजे बंकेपुरा रोड पानी की टंकी के पास अंतर्गत थाना गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में :--

- 1. डकैती की तैयारी की ?
- 2. डकैती के अभ्यस्त रहते हुए डकैती करने के प्रयोजन से सहअभियुक्त गण की टोली में शामिल रहे ?
- 3. डकैती के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह के सदस्य रहे ?
- 4. अभियुक्त गुड्डू उर्फ विजय सिंह ने बिना वैध लाइसेंस के एक 315 बोर का कट्टा तथा दो कारतूस, अभियुक्त ज्ञानसिंह ने बिना वैध लाइसेंस के एक धारदार तलवार 2 फुट 8 इंच लंबी एवं 1 फुट 7 इंच चौड़ी एवं अभियुक्त मुनेन्द्र सिंह ने बिना वैध लाइसेंस के एक लोहे का फरसा 9 इंच लंबा तथा 3 इंच चौडा अपने अधिपत्य में रखे?
- 5. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

—ः <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::–

8. इस मामले में उपरोक्त विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगातय 04 का निराकरण एक साथ किया जाना न्यायोचत प्रतीत होता है क्योंकि साक्ष्य भी संकिलित रूप से आई है और इन विचारणीय प्रश्नों का अलग—अलग निराकरण करने में तथ्यों की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- 9. जे.पी. भट्ट अ०सा०-05 ने यह बताया है कि दिनांक 12.08.14 को थाना प्रभारी गोहद के पद पर पदस्थ रहते हुए 21:15 बजे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि बडागर रोड पर पानी की टंकी के पास झाडियों की ओट में 8-10 बदमाश डकैती डालने के इरादे से एकत्र है। उक्त सूचना को उन्होंने राजीनामा सान्हा क्रमांक 1516 पर अंकित कर वरिष्ठ अधिकारियों को फोन से सूचना दी थी। पुलिस बल एकत्र किया था। पुलिस बल की दो पार्टियां बनाकर आर्म्स एम्युनेशन वितरित किए थे। मय पुलिस बल मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु 21:45 बजे मय फोर्स से वाहन कमांक एम.पी.-03-1402 एवं प्राइवेट वाहन एम.पी. -16-सी-6910 से पार्टी नंबर 01 व 02 को लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने यह भी बताया है कि मौके पर पहुंच कर बंकेपूरा रोड जेल तिराहे पर वाहन को रोककर पार्टी नंबर 02 छात्रावास के बाईं तरफ से पानी की टंकी के पास झाडी के पीछे बदमाशों की घेराबंदी करने एवं पार्टी नंबर 01 अपने साथ लेकर पानी की टंकी के पास खदान की ओर सीधे रवाना होकर बदमाशों की आहट ली, जो बदमाश की अवाज सुनाई दी कि ''थोड़ी रात हो जाने पर गोहद नगर के व्यापारी राकेश बंसल के यहां डकैती डालेंगे और मिले हुए माल का वापस यहीं आकर बंटवारा करेंगे।'' उनकी पार्टी व पार्टी नंबर 02 ने ६ राबंदी करके व टॉर्च जलाकर बदमाशों को आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा जिसे सुनकर बदमाशों में हडकंप मच गया और भागने लगे, तभी उनकी पार्टी नंबर 01 व 02 ने मिलकर घेराबंदी कर चार बदमाशों को पकड़ लिया तथा पांच बदमाश अंधेरे का फायादा उठाकर बंकेप्रा तरफ भाग गए।
- 10. जे.पी. भट्ट अ०सा०-०५ ने यह भी बताया है कि एक बदमाश जिसके पास लोडेड 315 बोर का कट्टा व कारतूस बरामद हुआ था, उसने अपना नाम गुड्डू कुशवाह होना बताया। दूसरे बदमाश जो तलवार लिए था उसने अपना नाम ज्ञानसिंह पुत्र मूलचन्द जाटव होना बताया है। तीसरा बदमाश जो फरसा लिए था उसने अपना नाम मुनेन्द्र पुत्र दिलीप सिंह बताया। चौथे बदमाश ने अपना नाम श्रीराम पुत्र रामचरण कुशवाह होना बताया। उन्होंने यह भी बताया है कि अभियुक्त गुड्डू से एक 315 बोर का कट्टा व दो जिंदा कारतूस जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-०६ बनाया था। अभियुक्त ज्ञान सिंह से एक लोहे की तलवार जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-०७ बनाया था। अभियुक्त भीराम से एक बास की लाठी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-०८ बनाया था। अभियुक्त श्रीराम से एक बास की लाठी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-०९ बनाया था।
- 11. जे.पी. भट्ट अ०सा०–०५ ने यह भी बताया है कि अभियुक्त गुड्डू कुशवाह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०–०2 बनाया था। अभियुक्त ज्ञान सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०–०3 बनाया था। अभियुक्त मुनेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०–०4 बनाया था। अभियुक्त श्रीराम को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०–०5 बनाया था।

पकडे गए अभियुक्त से भागने वालों का नाम पूछने पर उनका नाम करू उर्फ करूआ निवासी हीरा भूमियां का पुरा, सतीश गुर्जर निवासी बंकेपुरा, जितेन्द्र गुर्जर निवासी रूध का पुरा, मनोज गुर्जर व शैलू गुर्जर निवासी रूध का पुरा, मनोज गुर्जर व शैलू गुर्जर निवासी रूध का पुरा होना बताए थे। अभियुक्तगण को मय जप्तशुदा माल के थाने लाकर थाने के रोजनामचा सान्हा 1521 पर 23:45 बजे वापसी कर घटना का खुलासा अंकित किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—13 लेखबद्ध की थी तथा अपराध की कायमी की थी।

- 12. इसी प्रकार सोनपाल सिंह तोमर अ०सा0—12 ने दिनांक 12.08.14 को थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट को जिए मुखबिर सूचना मिलने पर दो पार्टी बनाकर घटनास्थल पर वाहनों से जाना बताया है तथा बदमाशों की यह अवाज सुनना बताया है कि थोड़ी रात हो जाने पर गोहद नगर के व्यापारी राकेश बंसल के यहां डकैती डालेंगे और मिले हुए माल का वापस आने पर बंटवारा करेंगे। सोनपाल अ०सा0—12 ने यह भी बताया है कि दोनों पुलिस पार्टियों ने टॉर्च जलाकर आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो बदमाशों में भगदड़ मच गई। मौके पर चार बदमाशों को पकड़ लिया गया तथा पांच बदमाश भाग गए। गुड़्डू कुशवाह से लोडेड 315 बोर का कट्टा व कारतूस, ज्ञान सिंह से तलवार, मुनेन्द्र सिंह से फरसा एवं श्रीराम से लाठी टी.आई. साहब ने जप्त करना बताया है। तथा पकडे गए अभियुक्तगण से भागनेवालों का नाम पूछने पर करू उर्फ करूआ, सतीश गुर्जर, जितेन्द्र गुर्जर, मनोज गुर्जर एवं शैलू गुर्जर होना बताया है।
- 13. इसी प्रकार अन्य साक्षी एन.सी. यादव अ०सा०–०1, तहसीलदार अ०सा०–०7, राजपाल सिंह अ०सा०–०9, इदरीश खां अ०सा०–10 एवं विनोद कुमार अ०सा०–11 ने भी उक्त डकैती की तैयारी एवं योजना अभियुक्तगण द्वारा बनाए जाने के संबंध में मुखबिर से थाना प्रभारी को सूचना मिलने पर दो गवाहों और पुलिस बल के साथ ६ ाटनास्थल पर जाना एवं वहां पर चार अभियुक्तगण का पकड़ा जाना एवं पांच बदमाशों का भाग जाना बताया है।
- 14. जे.पी. भट्ट अ०सा०-05, सोनपाल सिंह अ०सा०-12, एन. सी. यादव अ०सा०-01 ने यह बताया है कि पार्टी नंबर 01 जे.पी. भट्ट की थी, जो पानी की टंकी के पास खदान की ओर से गई थी तथा पार्टी नंबर 02 छात्रावास के बाई ओर से पानी की टंकी के पास झाडियों के पीछे से गई थी। जे.पी. भट्ट अ०सा०-05, सोनपाल सिंह अ०सा०-12 एवं विनोद कुमार अ०सा०-11 ने यह बताया है कि पांच बदमाश बंकेपुरा की तरफ भाग गए थे। परंतु राजपाल सिंह अ०सा०-09 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-03 में यह बताया है कि बंकेपुरा घटनास्थल से दक्षिण दिशा की ओर है। उसने यह बताया है कि भागनेवाले अभियुक्तगण पूर्व दिशा की ओर भागे थे। उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि भागनेवाले अभियुक्तगण बंकेपुरा की तरफ भागे थे। इस प्रकार साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में नहीं हो रही है।

- 15. जे.पी. भट्ट अ०सा०-०५ ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-11 में यह बताया है कि कौनसा बदमाश डकती डालने की बात कर रहा था, उसका नाम नहीं बता सकता। सोनपाल सिंह अ०सा०-12 ने भी पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि कौनसा बदमाश डकेती डालने की बात कर रहा था, उसका नाम नहीं बता सकता। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वास्तव में पुलिस के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अभियुक्तगण को डकेती डालने की बात करते हुए नहीं सुना गया है। जे.पी. भट्ट अ०सा०-05 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-11 में यह बताया है कि टॉर्च जलाने तक अभियुक्तगण झाड़ियों की आड़ में थे, इसलिए उनके चेहरे नहीं देख पाया था। स्पष्ट है कि वास्तव में पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण को देखा ही नहीं गया था।
- जे.पी.भट्ट अ०सा०-०५ ने मुख्यपरीक्षण के पैरा-०७ में यह बताया है कि पकड़े गए अभियुक्तगण ने भागनेवालों के नाम पूछने पर करू उर्फ करूआ, सतेन्द्र गुर्जर, जितेन्द्र गुर्जर, एवं शैलू गुर्जर बताए गए थे। तहसीलदार अ०सा०-०७ ने भी मुख्यपरीक्षण के पैरा-०2 में यह बताया है कि पकड़े गए बदमाशों में भागे गए बदमाशों के नाम व पते बताए थे। राजपाल सिंह अ०सा०-०९ ने भी बताया है कि पकड़े गए बदमाशों ने भागनेवाले बदमाशों के नाम जितेन्द्र, मनोज, तथा तीन नाम और बताए थे। इदरीश अ०सा०-10 ने भी पकड़े गए बदमाशों द्वारा भागनेवाले बदमाशों के नाम सतीश, करू, मनोज, जितेन्द्र तथा दो अन्य बदमाश होना बताया है। विनोद कुमार अ०सा०-11 ने पकड़े गए बदमाशों के द्वारा भागनेवाले बदमाशों के नाम मनोज, जितेन्द्र, शैलू तथा दो और नाम होना बताया है। सोनपाल सिंह अ०सा०-12 ने पकड़े गए अभियुक्तगण के द्वारा भागनेवाले बदमाशों के नाम करू उर्फ करूआ, सतीश गुर्जर, जितेन्द्र गुर्जर, मनोज गुर्जर, शैलू गुर्जर होना बताया है।
- 17. परंतु प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि इस संबंध में जे.पी. भट्ट अ०सा०-05 के द्वारा पकड़े गए अभियुक्तगण का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्रस्तुत और प्रमाणित नहीं किया है, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में पकड़े गए अभियुक्तगण द्वारा ऐसे कोई नाम बताए ही नहीं गए थे और बताए गए होते तो जे.पी. भट्ट अ०सा०-05 के द्वारा या विवेचना अधिकारी एस.के. शर्मा अ०सा०-08 के द्वारा पकड़े गए अभियुक्तगण का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम अवश्य तैयार किया जाता तथा अभियोगपत्र के साथ पेश किया जाता। इस प्रकार पकड़े गए अभियुक्तगण से भागे गए अभियुक्तगण का कोई संपर्क स्थापित होना प्रकट नहीं होता है। जिससे कि निश्चित तौर पर पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही और बताई गई निश्चित रूप से घटना संदेहजनक होकर असत्यता की ओर जाती है।
- 18. अभियोजन के अनुसार टॉर्च के उजाले में थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट एवं फोर्स ने पहचाना परंतु जे.पी. भट्ट अ०सा०–०५ एवं सोनपाल सिंह अ०सा०–12 ने मौके पर अभियुक्तगण का चेहरा नहीं

पहचान पाया जाना बताया है। तहसीलदार अ०सा०–०७ ने बताया है कि घटनास्थल पर मौके पर अंधेरा था और वह अभियुक्तगण को नहीं पहचान सकता है। विनोद कुमार अ०सा०–११ ने भी प्रतिपरीक्षण में पैरा–१० में यह बताया है कि घटना दिनांक को अंधेरी रात थी और उसके पास टॉर्च नहीं थी। भागे हुए मुल्जिमों में से वह किसी को नहीं पहचान पाया था। सोनपाल सिंह तोमर अ०सा०–१२ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–०८ में यह स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर अभियुक्तगण बैठे मिले थे, वहां पर कोई बीड़ी बंण्डल, सिगरेट, माचिस, तंबाकू या कोई पेयपदार्थ नहीं पाया था।

- 19. एस.के. शर्मा अ०सा०-08 ने विवेचना के दौरान दिनांक 13.08.14 को घटनास्थल का नक्शामीका प्र0पी0-05 बनाया जाना तथा साक्षियों के कथन लेना बतया है और प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि नक्शामौका बनाते समय उन्होंने सिगरेट, माचिस, बीडी आदि चीजें नहीं पाई थीं। नक्शामीका प्र0पी0—15 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि नक्शा मौका घटना की रात्रि के दूसरे ही दिन सुबह 08:00 बजे बनाया गया है। पंरत् उपरोक्त दोनों साक्षियों ने व्यक्त किया है कि घटनास्थल से सिगरेट, बीड़ी, माचिस या कोई तंबाकू या कोई पेय पदार्थ नहीं पाया गया था। यहां पर पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही निश्चित तौर पर असत्य होना प्रकट होती है, क्योंकि यह पूर्णतः अस्वाभाविक है कि 8-10 अपराधी प्रवृत्ति के लोग रात्रि में दो-तीन घंटे एकांत स्थान पर झाडियों के पास बैठें हों और उनमें से किसी ने भी सिगरेट, तंबाकू या पेय पदार्थ का सेवन न किया हो। इन पदार्थों में से किसी भी पदार्थ का घटनास्थल पर न पाया जाना भी अभियोजन मामले को असत्य होना प्रकट करता है
- 20. जे.पी. भट्ट अ०सा०—०५ ने अभिलेख देखकर यह बताया है कि उसकी पार्टी में उपनिरीक्षक आर पी.एस. तोमर, प्रधान आरक्षक तहसीलदार सिंह, आरक्षक भूरालाल, कमलेश व विनोद थे तथा पार्टी नंबर—०२ में एस.आई. सोनपाल सिंह तोमर, ए.एस.आई. एन.सी. यादव, प्रधान आरक्षक उपेन्द्र सिंह, आरक्षक संजय, महेश व आरक्षक इदरीश थे। सोनपाल सिंह तोमर अ०सा०—12 ने लगभग यही सदस्य दोनों पार्टियों में बताए हैं। साक्षी मुन्ना खटीक व राजू श्रीवास का थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट की पार्टी में होना बताया है। एन.सी. यादव अ०सा०—०1 ने भी लगभग यही सदस्य बताए हैं। परंतु तहसीदार अ०सा०—०7 ने स्वयं को सोनपाल सिंह तोमर की पार्टी में होना बताया है, जबिक अन्य साक्षियों के अनुसार वह जे.पी. भट्ट की पार्टी में था। इस बिन्दु पर भी साक्षियों की साक्ष्य की आपस में पुष्टि नहीं हो रही है।
- 21. एन.सी. यादव अ०सा०-०१ ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-०४ में यह बताया है कि घटनास्थल पर अंधेरा रहता है और यह बताया है कि घटना के समय टी.आई. साहब के पास टॉर्च थी। जे.पी. भट्ट अ०सा०-०५ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-14 में यह बताया है कि घटनास्थल पर अंधेरा था और वह आज किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचान

सकता। तहसीलदार सिंह अ०सा०-07 ने भी पैरा-03 में यह बताया है कि घटनास्थल पर मौके पर अंधेरा था और वह अभियुक्तगण को नहीं पहचाना सकता। राजपाल सिंह अ०सा०-09 ने पैरा-03 में यह बताया है कि टी.आई. साहब ने टॉर्च के प्रकाश में लिखापढ़ी की थी। इदरीश खां अ०सा०-10 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-07 में यह बताया है कि घटनास्थल पर अंधेरा था और उजाले का कोई प्रबंध नही था। इदरीश खां अ०सा०-10 ने पैरा-08 में बताया है कि मौके पर लिखापढ़ी टॉर्च के उजाले में की गई थी।

- 22. विनोद कुमार अ०सा०—11 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा—10 में यह स्वीकार किया है कि उसके पास टॉर्च नहीं थी। परंतु वहीं तहसीलदार अ०सा०—07 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि टी.आई. साहब ने मौके पर ही गाडी की लाइट में लिखापढ़ी की थी। जबिक जे. पी.भट्ट अ०सा०—05 ने जेल तिराहे पर वाहनों को रोकना बताया है। एन.सी. यादव अ०सा०—01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा—04 में यह बताया है कि जेल तिराहे पर वाहन खड़े कर दिए थे तथा वहां से पैदल गए थे, जेल से घटनास्थल लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। अतः ऐसी स्थिति में जहां कि घटनास्थल पर वाहन नहीं गए, वहां घटनास्थल पर वाहन की लाइट में लिखापढ़ी होना भी संभव नहीं है। इस बिन्दु पर भी अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में नहीं हो रही है और उनकी साक्ष्य कतई विश्वसनीय नहीं रह जाती है।
- 23. एन.सी. यादव अ०सा०-01, जे.पी. भट्ट अ०सा०-05, तहसीलदार अ0सा0-07, राजपाल सिंह अ0सा0-09, इंदरीश खां अ०सा०–१०, विनोद कुमार अ०सा०–११, सोनपाल सिंह तोमर अ0सा0-12 आदि सभी ने यह बताया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे थे तो अभियुक्तगण आपस में राकेश बंसल के यहां डकैती डालने की बात कर रहे थे। सोनपाल सिंह तोमर अ0सा0-12 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा—10 में यह स्वीकार किया है कि पार्टी नंबर 01 व पार्टी नंबर 02 की दूरी लगभग 100 मीटर होगी। पार्टी नंबर 01 ने बातचीत करते सुना था। परंतु उपरोक्त साक्षियों में से सोनपाल सिंह तोमर अ०सा0–12, एन. सी. यादव अ०सा०–०1, इदरीश खां अ०सा०–10 पार्टी नंबर 02 के होना बताए गए हैं और वे भी बातचीत करते सुनना बताते हैं। जबकि अभियोजन के अनुसार बातचीत थाना प्रभारी जे.पी. भट्ट के द्वारा सुनी गई है। इदरीश अं0सा0-10 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में यह बताया है कि बदमाशों की आवाज टी.आई. साहब ने सुनी थी और टी.आई. साहब ने उन्हें बताया था। राजपाल सिंह अ0सा0—09 का प्रतिपरीक्षण के पैरा–03 में यह कहना है कि उन्होंने करीब 50 कदम की दूरी पर से आवाजें सुनी थीं। परंतु ऐसा प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है कि 50 कदम की दूरी की खुसूर-फूसूर की आवाज सुनाई दे जावें। इस प्रकार पुलिस के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही नाटकीय एवं बनावटी होना प्रकट होती है।
- 24. एन.सी. यादव अ०सा०-01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-05

में यह प्रकट किया है कि वे लोग जिस गाड़ी से गए थे, उसका नंबर याद नहीं है। जे.पी. भट्ट अ०सा०—05 ने शासकीय वाहन का नंबर एम.पी.—03—1402 एवं प्राईवेट वाहन का नंबर एम.पी.—16—सी—6910 होना बताया है। राजपाल सिंह अ०सा०—09 ने भी यह बताया है कि जिस शासकीय वाहन एवं प्राइवेट वाहन से वे गए थे उनके नंबर वह आज नहीं बता सकता है। वहीं इदरीश खां अ०सा०—10 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा—06 में यह बताया है कि जिस वाहन से वे गए थे, उसका नंबर एम.पी.—16—5910 था, जबिक अभियोजन के अनुसार उसका कमांक एम.पी.—16—सी—6910 है।

- 25. जे.पी. भट्ट अ०सा०–०5 का प्रतिपरीक्षण के पैरा–11 में यह कहना है कि उनकी पार्टी ने गुड्डू व ज्ञानसिंह को पकड़ा था तथा पार्टी नंबर 02 ने मुनेन्द्र व श्रीराम को पकड़ा था, जबिक तहसीलदार अ०सा०–०७ का यह कहना है कि जिस पार्टी का नेतृत्व टी. आई. साहब कर रहे थे, उसी पार्टी ने चारों अभियुक्तगण को पकड़ा था। इस प्रकार महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी अभियोजन साक्षियों की पुष्टि आपस में नहीं हो रही है।
- 26. एन.सी. यादव अ०सा०–०1 का प्रतिपरीक्षण के पैरा–14 यह कहना है कि कट्टे की लंबाई वह नहीं बता सकता। जे.पी. भट्ट अ०सा०–०5 प्रतिपरीक्षण के पैरा–14 में यह कहता है कि वह जप्तीपत्रक को देखे बिना कट्टे का आकार नहीं बता सकता। तहसीलदार अ०सा०–०7 का यह कहना है कि गुड्डू जो कट्टा लिए था, उसकी बैंती लोहे की थी या लकड़ी की थी, पता नहीं है। सोनपाल सिंह अ०सा०–12 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–10 में यह व्यक्त किया है कि बिना जप्तीपत्रक को देखे कट्टे का आकार नहीं बता सकता है।
- जप्ती पंचनामा प्र0पी0-06 का अध्ययन करने से स्पष्ट है 27. कि उसमें कटटे का कोई वर्णन नहीं है कि कटटे की बैरल की लंबाई चौड़ाई क्या है। कट्टे के बट की लंबाई चौड़ाई कितनी है, बट लोहे की है अथवा लकड़ी की है, ऐसा कोई भी विवरण नहीं है। उपरोक्त किसी भी साक्षी ने कट्टे का कोई वर्णन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से जे.पी. भट्ट की साक्ष्य के समय कट्टे को तलब नहीं कराया गया है और वैसे भी अभियोजन मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं हो रहा है। तब कट्टे को तलब कराए जाने का भी कोई औचित्य नहीं था। यही कारण है कि पुलिस के अतिरिक्त जो स्वतंत्र साक्षी राज् श्रीवास अ०सा0–02 एवं मुन्ना खटीक अ०सा0–03 को पुलिस के द्वारा ६ ाटनास्थल पर ले जाकर उनके सामने कार्यवाही करना बताया है, उन दोनों की साक्षियों ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है और इस तथ्य से इन्कार किया है कि उनके सामने अभियुक्तगण से कट्टा, तलवार, फरसा लोटी आदि जप्त की गई थी। राजू श्रीवास अ०सा०-02 एवं मुन्ना खटीक अ०सा०-03 ने इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि वे पुलिस बल के साथ बंकेपुरा बड़ागर रोड़ पर पानी की टंकी के पास गए थे, जहां पर अभियुक्तगण और उनके साथी डकैती

डालने की योजना बना रहे थे।

- इस मामले में करू उर्फ करूआ का प्र0पी0-01 के 28. अनुसार गिरफ्तार होना बताया गया है। परंतु उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं है। अभियोजन के अनुसार तथा साक्षी जे.पी. भट्ट अ०सा०–05, सोनपाल सिंह अ०सा0–12 ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा भागने वालों में करू उर्फ करूआ का नाम बताया जाना बताया है। परंत् इस संबंध में अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं है और न ही कोई धारा–27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्रस्तृत किया गया है। वैसे भी उपरोक्त साक्षियों ने साक्ष्य में यह बताया है कि भागे गए किसी मुजरिम को वे नहीं पहचान पाए थे। इदरीश खाँ अ०सा०–10 ने पैरा–09 में यह बताया है कि भागे हुए बदमाश करू को वह नहीं पहचान पाया था। सोनपाल सिंह तोमर अ०सा०–12 ने यह बताया है कि करूआ मौके से नहीं पकडा गया था। इस प्रकार मौके पर अभियुक्त करूआ का होना और भाग जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। मात्र फॉर्मल गिरफतारी पंचनामा प्र0पी0–01 के आधीर पर उसके विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध भी कोई मामला प्रमाणित होना प्रकट नहीं हो रहा है।
- 29. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—03 के अनुसार घटना रात्रि 10:30 बजे की है। जे.पी. भट्ट अ0सा0—05 ने 21:15 बजे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होना बताया है तथा 21:45 बजे घटनारथल के लिए रवाना होना बताया है। एन.सी. यादव अ0सा0—01 ने रात्रि 09:30 बजे थाने से निकलना बताया है और एक घंटे में घटनास्थल पर पहुंचना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—03 के अनुसार घ ाटनास्थल थाने से तीन किलोमीटर की दूरी पर है। वाहनों से जाकर तीन किलोमीटर की दूरी अधिक से अधिक 15 मिनट में तय की जा सकती है। तब 09:45 बजे निकलकर पहुंचने का समय 10:00 बजे होता है। परंतु अभियोजन के अनुसार 10:30 बजे पुलिस पार्टी वहां पहुंची है।
- 30. इदरीश अ०सा०-10 ने भी यह बताया है कि 09:00-09:30 बजे उसे टी.आई. साहब ने फोन करके थाने पर बुलाया था और 15-20 मिनट में वह घटनास्थल पर पहुंच गया था। राजपाल सिंह अ०सा०-09 के अनुसार मौके पर 15 मिनट का समय लगना तथा वाहन खड़ा कर घटनास्थल तक पहुंचने में 6-7 मिनट का समय लगना बताया है। इस प्रकार अधिकतम समय 22 मिनट हो जाता है और उसने प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में रात्रि 09:35-09:40 बजे चलना बताया है। ऐसी स्थिति में अधिकतम अवधि 10 बजकर 02 मिनट पर घटनास्थल पर पहुंचने का समय होता है। परंतु अभियोजन के अनुसार 10:30 पर घटनास्थल पर पहुंचना बताया गया है। इस प्रकार समयावधि और समय के बिन्दु से भी अभियोजन घटना की पुष्टि नहीं हो रही है। जे.पी. भट्ट अ०सा०-05 पैरा-12 में यह बताता है कि मुखबिर से सूचना मिलने और घटनास्थल पर पहुंचने तक मुष्ठिकल से आधा घंटे का समय लगा होगा। मुखबिर से

09:15 बजे सूचना मिलना बताया है। इस हिसाब से 09:45 बजे पहुंचने का समय होता है। परंतु अभियोजन के अनुसार घटना 10:30 बजे की है। ऐसी स्थिति में भी अभियोजन साक्ष्य से घटना की पुष्टि नहीं हो रही है।

- 31. इस मामले में मुखबिर से सूचना मिलने पर कि अभियुक्तगण डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं और डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, पुलिस बल के एकत्रित किया गया है एवं दो साक्षियों को बुलाकर दो वाहनों से साथ जाकर दिबश दी गई है। अभियोजन के अनुसार ही 09:15 बजे जिरए मुखबिर सूचना मिली है तथा अभियोजन के अनुसार ही लगभग 10:30 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। इस प्रकार उक्त कार्यवाही में एक घंटा 15 मिनट अर्थात सवा घंटा लगा है। तब ऐसी स्थिति में यह पूर्णतः अप्राकृतिक और अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण एक ही स्थान पर पुलिस का इंतजार करते रहे, योजना बनाते रहे और तैयारी ही करते रहे तािक पुलिस आए और उन्हें हथियार सिहत पकड़े, लेकिन यह पूर्णतः अस्वाभाविक है।
- 32. सुरेश दुबे अ०सा०-०४ ने इस प्रकरण के 315 बोर के कट्टे एवं दो कारतूसों की जांच कर, उन्हें फायर योग्य होना पाया है। उनकी जांच रिपोर्ट प्र०पी०-12 है। दीपक तिवारी अ०सा०-०६ के अनुसार गुड़डू उर्फ विजय कुमार के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्र०पी०-14 डी.एम. मधुकर आग्नेय द्वारा दी जाना बताया है। परंतु जहां कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थित में इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य की या कट्टे की जांच और अभियोजन स्वीकृति का कोई महत्व नहीं रह जाता है।
- 33. पुलिस के पहुंचते ही अभियुक्तगण का यह कहना कि "
 थोड़ी और रात हो जाने पर गोहद नगर के व्यापारी राकेश वंसल के यहां चलकर डकैती डालेंगे तथा डकैती में मिले सामान का यहीं आकर बंटवारा करेंगे," ऐसा पूर्णतः अस्वाभाविक और अप्राकृतिक प्रतीत होता है, क्योंकि क्या इस जुमले के लिए अभियुक्तगण सवा घंटे इंतजार करते रहे कि जब पुलिस आयेगी तब पुलिस को सुनाने के लिए वे यह जुमला बोलेंगे। इस प्रकार पुलिस के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही नाटकीय एवं बनावटी होना प्रकट होती है और उसे सत्यता का रूप देने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इस मामले में बदमाशों के पास हथियार होते हुए भी उनके द्वारा पुलिस पर फायर नहीं किया गया है, यह भी अस्वाभाविक होना प्रकट होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है।
- 34. फलस्वरूप अभियुक्तगण गुड्डू उर्फ विजय सिंह, श्रीराम

कुशवाह, ज्ञानसिंह जाटव, करू उर्फ करूआ गुर्जर एवं मुनेन्द्र सिंह गुर्जर को भा0दं0सं0 की धारा—399, 400 एवं 402 सहपिटत धारा—11 एव 13 मध्यप्रदेश डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम तथा अभियुक्त ज्ञानसिंह एवं मुनेन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा—25 (1—बी)(बी) तथा अभियुक्त गुड्डू उर्फ विजय सिंह को आयुध अधिनियम की धारा— 25 (1—बी)(ए) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। इन अभियुक्तगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते है।

- 35. अभियोगपत्र के साथ पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड को लिखा गया पत्र तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना प्रभारी गोहद को लिखा गया पत्र संलग्न किया गया है। पूर्व के पत्र में शेष अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र एवं मनोज के विरुद्ध जांच कराए जाने के उपरांत पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाये जाने का उल्लेख है और मजबूत साक्ष्य प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना प्रभारी गोहद को जितेन्द्र गुर्जर, मनोज, सतीश गुर्जर एवं शैलू उर्फ शैलेन्द्र गुर्जर के संबंध में धारा—173(8) दं0प्र0सं० के तहत विवेचना जारी रखते हुए शेष गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किए जाने का आदेश किया गया है।
- 36. प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि जब अभियोगपत्र प्रस्तुत हुआ है तो तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्व ारा इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है कि शेष अभियुक्तगण के संबंध में क्या कार्यवाही होना है। अभियोगपत्र दिनांक 09.12.14 को पेश किया गया है, तब से शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में प्रथक से आदेश पत्रिका प्रारंभ कर शेष अभियुक्तगण के संबंध में थाना गोहद से जानकारी मंगाई जावे कि शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई या अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है या अन्य कोई कार्यवाही की गई है। इस संबंध में निर्णय प्रति उस आदेश पत्रिका के साथ संलग्न की जावे। उक्त आदेश पत्रिका निराकृत होने के पश्चात इस विशेष सत्र प्रकरण के अभिलेख के साथ संलग्न की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण शेष अभियुक्तगण के निराकरण के समय किया जावेगा।
- 37. प्रकरण में अभियुक्त गुड्डू उर्फ विजय सिंह, ज्ञानसिंह, मुनेन्द्र सिंह एवं श्रीराम को दिनांक 12.08.14 को तथा करू उर्फ करूआ को दिनांक 07.10.14 को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 16.09.14 को गुड्डू उर्फ विजय सिंह के द्वारा जमानत प्रस्तुत की गई है और उसे जमानत पर रिहा किया गया है। दिनांक 19.09.14 को मुनेन्द्र सिंह के द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। दिनांक 24.09.14 को श्रीराम के द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। दिनांक 18.10.14 को करू उर्फ करूआ के द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। दिनांक 18.10.14 को करू उर्फ करूआ के द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। दिनांक 05.03.15 को जमानत पर रिहा किया गया है। दिनांक 05.03.15 को जमानत पर रिहा

की गई है और उसे जमानत पर रिहा किया गया है। मुनेन्द्र के अनुपस्थित होने के कारण उसे दिनांक 27.08.15 को फरार घोषित किया गया है। दिनांक 20.04.16 को मुनेन्द्र को स्थाई गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 16.01.17 को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का द्वारा मुनेन्द्र के जमानत आवेदन स्वीकार होने पर, जमानत प्रस्तुत की गई है और उसे जमानत पर रिहा किया गया है।

- इस प्रकार अभियुक्त गुड्डू उर्फ विजय सिंह 36 दिवस 38. नरोध में रहा है। अभियुक्त ज्ञानसिंह 206 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त श्रीराम 44 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त करू उर्फ करूआ 12 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त मुनेन्द्र 311 दिवस निरोध में रहा है। जिसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- 39. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के अंतर्गत भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश, डकैती A MER TO THE PROPERTY OF THE P